

## बिहार गजट

## असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**22 आश्विन 1941 (श0)** (सं0 पटना 1154) पटना, सोमवार, 14 अक्तूबर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

## अधिसूचना 14 अक्तूबर 2019

एस॰ ओ॰ 386 दिनांक 14 अक्टूबर 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के क्प में, जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करते हैं।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट श्रैमास के दौरान प्रभावी, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे उक्त सारिणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् :-

## सारणी

क्रम सं.	त्रैमास जिसके लिए प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं ।	प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि ।
	म ज्यार प्रस्तुत । फर गर ह	क लिए समय जपाय ।
(1)	(2)	(3)
1	अक्टूबर, 2019 से दिसंबर, 2019	31 जनवरी, 2020
2	जनवरी, 2020 से मार्च 2020	30 अप्रैल, 2020

- 3. अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ।
  - 4. यह अधिसूचना दिनांक ९ अक्टूबर, २०१९ के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

[(सं॰सं॰ बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 3042)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ॰ प्रतिमा.

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

14 अक्तूबर 2019

एस० ओ० 386 दिनांक 14 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017 (खंड—6)3042)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 14<sup>th</sup> October 2019

- S.O. 386, Dated 14<sup>th</sup> October 2019— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.
- 2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** under the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

**Table** 

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	October, 2019 to December, 2019	31 <sup>st</sup> January, 2020
2	January, 2020 to March, 2020	30 <sup>th</sup> April, 2020

- 3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of October, 2019 to March, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.
  - 4. This notification shall come into force with effect from 9<sup>th</sup> October, 2019.

(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 3042)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1154-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <a href="http://egazette.bih.nic.in">http://egazette.bih.nic.in</a>